

प्रपत्र-23.

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - गाजरी, रूनड़ा

तहसील-कनालीखीना, जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि०मी० + 1 सेतु) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 1.8435 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.8435 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

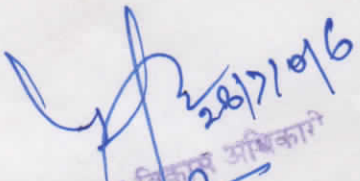
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गाजरी, रूनड़ा द्वारा दिनांक 30-4-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गाजरी, रूनड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र
वि० सं० कनालीखीना पिथौरागढ़

ह०/-

ग्राम प्रधान


ग्राम पंचायत गाजरी
वि० सं० कनालीखीना पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.1

दिनांक:-30/4/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- गाजरी, रूनड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल दत्त भट्ट S/o गणेश दत्त भट्ट	
2	मोहन सिंह S/o राम सिंह	
3	मनोहर सिंह S/o गोपाल सिंह	
4	होशियार सिंह भाट	
5	सुभा सिंह S/o राम सिंह	
6	महेश्वर गो लाल रामदास भट्ट	
7	पताई सिंह S/o भवान सिंह	
8	शमशेर सिंह S/o चन्द सिंह	
9	सोहन सिंह S/o जय सिंह	
10	जगदीश सिंह S/o	
11	गोमती देवी	
12	गोमती देवी	
13		
14	मान सिंह धामी	
15	गोमती देवी	
16	गोपाल सिंह	
17	गोमती देवी	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

30/4/2016
ग्राम पंचायत गाजरी
रूनड़ा

ग्राम पंचायत गाजरी

ह0/-

ग्राम प्रधान

प्रधान

ग्राम पंचायत गाजरी

रूनड़ा जिला अजमेर

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि०मी० + 1 सेतु) (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 1.8435 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.8435 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 21/04/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सतीश कुमार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 1- श्री <u>सतीश कुमार</u> | उप जिलाधिकारी | <u>डीडीहार</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>अनिल कुमार</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>डीडीहार</u> | सदस्य |
| 3- श्री <u>राजेश कुमार</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>डीडीहार</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>राजेश कुमार</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>पीपली</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि०मी० + 1 सेतु) परियोजना हेतु 1.8435 हे० वनभूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अनिल कुमार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधानों को लागू करते हुए उप जिलाधिकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि०मी० + 1 सेतु) परियोजना के निर्माण हेतु 1.8435 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कनालीछीना

जनपद- पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कनालीछीना

जनपद- पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रून्डा तक मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 2.000 किमी० हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रून्डा तक मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 2.000 किमी० (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.8435 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.8435 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील डीडिहाट) की दिनांक 6.12.018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मो. नारायण शर्मा, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री मो. नारायण शर्मा अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 2- श्री विनय भार्गव सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 3- श्री श. क. शर्मा सदस्य/सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 4- श्री मन्जुला बुद्धियाल सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र सरमोली।
- 5- श्री अमर चन्द सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र सरमोली।
- 6- श्री कमलेश आर्या सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र सरमोली।

सचिव, द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रून्डा तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.000 किमी०) परियोजना हेतु 1.8435 हे० वनभूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रून्डा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.8435 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी (अध्यक्ष), पिथौरागढ़।

प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)
(पिथौरागढ़)।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
(सदस्य/सचिव)

जिला पंचायत (पिथौरागढ़)।

जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य)

मन्जुला बुद्धियाल
सदस्य जिला पंचायत
(01 सिदाँग) धारचूला
पिथौरागढ़

जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य)
क्षेत्र

जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य)

कमलेश आर्या
क्षेत्र
जिला पंचायत - सरमोली
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

FROM -1
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAGARH

No.42.....

Dated..6.12.18..

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **1.8435** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Construction Division P.W.D. Askote) for **Construction of Chdandev-Nawali Road to Runra Moter Road.** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdiction of **Gajri, Runra in kanalichina Tahsils.**

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire **1.8435** hectares area proposed for diversion A copy of records of all consulation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub-division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)



It is further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.24.35 of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Yes. Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate of concerned motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

अधिसूचना
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़